इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जून 2019—आषाढ़ 3, शक 1941

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. एफ-04-89-2018-1-पच्चीस.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 65, दिनांक 18 फरवरी 2019 में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) को अधिक्रमित करते हुये भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची—तीन में, अनुक्रमांक 1, 2 एवं 3 तथा उनसे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबद्ध प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्र0	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बेचलर ऑफ एजूकेशन या उसके समकक्ष	1.नियम 11 के उपनियिम (4) में विहित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2.संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के लिए संस्कृत साहित्य /

					व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से द्वतीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।
2	माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	--तदैव--	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एड.) अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी.एड.)	1. नियम 11 के उपनियम (4) में विहित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण । 2. संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/ व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से द्वतीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।

				अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्ड्री अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.) अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्ड्री अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि बी.ए.बी.एड/बी.एस.सी. बी.एड. या बी.ए.एड./ बी. एस. सी.एड. अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) (2) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्गों तथा नि:शक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी ।	

3	प्राथमिक शिक्षक	21 वर्ष	--तदैव--	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्ड्री अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानसे शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतू पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा ।	1. नियम 11 के उपनियम (4) में विहित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण । 2. संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/ व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से द्वतीय श्रेणी में उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।

				अथवा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्ड्री अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्ड्री अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा	

				प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष (2) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों मे 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. एफ-04-89-2018-1-पच्चीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-04-89-2018-1-पच्चीस, दिनांक 24 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 24th June 2019

No. F-04-89-2018-1-XXV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, and in super session of this department's Notification No. 65, dated 18th February, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Tribes and Scheduled Castes Teaching Cadre (Service and Recruitment) Rules, 2018, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-III, in column (1), for serial numbers 1, 2 and 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of Posts	Minimum age Limit	Maximum Age Limit	Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Ucch Madhyamik Shikshak	21 Years	As per the instruction of General Adminstration Department	Masters Degree in the relevant subject with second division and Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent.	1. Passed Teacher Eligibility Examination with the percentage with the prescribed in sub-rule (4) of rule 11. 2. The minimum qualification for ucch Madhyamik Shikshak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Achrya Degree in second division in Sanskrit Literature/grammar etc. from recognized institution/ university

2.	Madhyamik Shikshak	21 Years	-do-	Bechelor's degree in the relevant subject and 2 year diploma in Elementary Education or its equivalent. or Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 50% marks and one year Bachelor in Education (B.Ed.) or Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and one year in Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the National Council For Teacher Education (Recognition norms and Procedure) Regulations, issued from time to time in this regard. or Higher Secondary (or its Equivalent) with at least 50% Marks and 4 Year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) or Higher Secondary (or its Equivalent) with at least 50% marks and 4 Year Bachelor Degree in the relevant subject (B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. or B.A. Ed./B.Sc. Ed.) or Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 50% marks and one year B.Ed. (Special Education) 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging	1. Passed Teacher Eligibility Examination with the percentage with prescribed in sub- rule (4) of rule 11. 2. The minimum qualification for Madhyamik Shikshak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Shastri Degree in second division in Sanskrit Literature/ Grammar etc. from a recognized institution/ university

				to reserved categories', such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disabilities.	
3.	Prathmik Shikshak	21 Years	-do-	1. Higher Secondary (or its Equivalent) with at least 50% Marks and 2 Year Diploma in Elementary Education. or Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B.Ed.) who has acquired the qualification of Bachelor of education from any National Council for teacher education Recognize institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1st to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a six month bridge course in Elementary Education Recognize by the National Council for Teacher Education within 2 Years of such Appointment As Primary Teacher. or Higher Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and two year Diploma in Elementary Education in accordance with the National Council For Teacher Education (Recognize Norms and procedure)	1. Passed Teacher Eligibility Examinatic with the percentage with prescribed in su rule (4) of rule 11. 2. The minimum qualification for Primary Teacher (Sanskrit) of Sanskrit School Shall be Uttaı Madhyama Degree in second Division in Sanskrit Literature/ Grammar etc. from recognized institution university.".

				Regulations, 2002 or Higher Secondary (or its Equivalent) with at least 50% Marks and 4 Year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 Year Diploma in Education (Special Education) or Graduation and 2 Year Diploma in Elementary Education or its Equivalent 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and perons with disabilities.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Principal. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.